कार्यालय, जिला पंचायत पन्ना (म.प्र.)

अजयगढ़ चौराहा पन्ना–488001, म.प्र. फोन न. 07732–252112–250014 (कार्यालय), 252630 (फैक्स)
252097 (निवास), ई–मेल आई.डी. ceozppan@mp.gov.in

क्रमांक / 3071 / आरजीएम / आइडब्ल्यूएमपी / 2012 पन्ना दिनांक 31/7/2012

चतुर्थ – विज्ञप्ति

जिला पंचायत पन्ना द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5337 दिनांक 26.02.2011 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 6620 दिनांक 26.05.2011 में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण एवं विज्ञप्ति क्रमांक 658 दिनांक 30.01.2012 में उपयुक्त आवेदक न मिलने के कारण, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत एकाउन्टेट पद हेतु इच्छुक पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया था उन्हें भी पुनः आवेदन करना होगा किन्तु शुल्क पुनः देय नही होगी। आवेदन पत्र में पूर्व में आवेदन करने सम्बंधी विवरण देना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर, जिला पंचायत पन्ना में सीधे या पंजीकृत डाक से जमा किए जा सकते है ।

क्र	पदनाम	पद संख्या /आरक्षण स्टेटस	मासिक पारिश्रमिक / मानदेय
1	एकाउण्टेंट	01 अन्य पिछड़ा वर्ग	8100/–

योग्यता एवं अनुभव– पद एकाउण्टेट के लिये भारत सरकार अथवा म0प्र0 सरकार अथवा इनके निगम /मंडल/उपक्रम/संस्थाओं से वित्तीय अथवा लेखा सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो वित्त एवं लेखा कार्यो, प्रक्रियाओं, प्रणालियो एवं प्रबंधन का अनुभव रखते हों।

अन्य विवरण– (क) आवेदन–पत्र में पूरी जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति होना चाहिये । निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायगा।

(ख) चयनित अभ्यर्थी को 01 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा तदोपरान्त अनुकूल आचरण, कार्य कुशलता एवं मूल्यांकन के आधार पर सेवा अवधि में पुनः 1–1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी । संविदा की कालावधि एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रचलित रहने /भारत सरकार से तत्सबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त होने अथवा आवश्यकता होने तक सीमित रहेगी । संविदा एकाउन्टेट का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा आचरण व निष्पादन कार्यकलाप के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में उसकी सेवा अवधि समाप्त किये जाने के संबध मे जिला कलेक्टर/मिशन लीडर निर्णय ले सकेंगें । संविदा पर नियुक्त यह एकाउन्टेट नियमितीकरण /स्थाईकरण हेतु पात्र नहीं है और भविष्य में भी वे नियमितीकरण/स्थाईकरण हेतु कोई दावा नहीं कर सकेंगे ।

(ग) आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।

(घ) विभाग को कोई भी/सभी आवेदनों को अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(ङ) आवेदन पत्र सादे कागज पर प्रमाणित फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ 50/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के नाम से देय होगा।

(ई) उपरोक्त संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत शर्ते www.panna.nic.in पर देखी जा सकती है

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत पन्ना(म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

IWMP

परिपत्र क्र. 1 का
पूरक आदेश–II

क्र. 933/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2011 भोपाल, दिनांक 22/01/11

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम **(Integrated Watershed Management Programme - IWMP)** हेतु जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध मे विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.1 (जावक क्र. 2595/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 25/02/10)

विषयांतर्गत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) हेतु उक्त संदर्भित परिपत्र में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर (Watershed Cell cum Data Centre - WCDC) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र के साथ संलग्न भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के आदेश क्र. के–11012/5/2009/IWMP (IS), दिनांक 14.9.2009 में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों का उल्लेख किया गया है।

2/ संस्थागत व्यवस्था के संबंध में भारत सरकार के नवीनतम आदेश क्र. जेड–11011/17/2009/PPC, दिनांक 6.4.2010 अनुसार जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर में प्रतिनियुक्ति पर/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भरती कर अथवा संविदा नियुक्तियों के द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर वांछित अमले की सेवायें ली जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में अकाउन्टेंट और डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर संविदा नियुक्तियों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

2.1 अकाउन्टेंट और डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर संविदा नियुक्तियों के द्वारा वांछित अमले की सेवायें (अनुलग्नक – 1 में दर्शाये गये रोस्टर अनुसार) लेने हेतु मिशन लीडर अर्थात जिला कलेक्टर उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन एवं नियुक्ति हेतु अधिकृत होंगे।

2.2 उपरोक्तानुसार संविदा नियुक्ति हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम व विवरण मंगा कर भी संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित पात्रता के आधार पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा तथा पात्र अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा (अकाउन्टेंट हेतु विषय से संबंधित लिखित परीक्षा एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु कम्प्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा) एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार जिला कलेक्टर द्वारा गठित पैनल द्वारा लिया जायेगा, जिसमें राजपत्रित प्रथम श्रेणी के अधिकारी शामिल होंगे।

2.3 अकाउन्टेंट के पद हेतु पात्रता भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार अथवा इनके निगम/मंडल/उपक्रम/ संस्थाओं से वित्तीय अथवा लेखा सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो वित एवं लेखा कार्यों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं प्रबंधन का अनुभव रखते हैं, होगी। डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता – किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा/पीजीडीसीए/बीसीए और अनुभव – कम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा बेस मैनेजमेंट में दक्षता सहित डाटा एन्ट्री आपरेटर व मल्टीमीडिया के विविध कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव होगा। हिन्दी व अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा पास तथा मल्टीमीडिया की योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.4 चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।

3/ चयनित अभ्यर्थी को 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया जायेगा, तदोपरांत अनुकूल आचरण, कार्य कुशलता एवं मूल्यांकन के आधार पर सेवा अवधि में पुनः 1–1 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी। संविदा की कालावधि एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रचलित रहने /भारत सरकार से तत्संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त होने अथवा आवश्यकता होने तक सीमित रहेगी। संविदा अकाउन्टेंट एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा आचरण व निष्पादित कार्यकलाप के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में उसकी सेवा अवधि समाप्त किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर/मिशन लीडर निर्णय ले सकेंगे। संविदा पर नियुक्त यह अकाउन्टेंट एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर नियमितीकरण/स्थाईकरण हेतु पात्र नहीं हैं और भविष्य में भी वे नियमितीकरण/स्थाईकरण कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

4/ भारत सरकार के आदेश क्र. जेड–11011/17/2009/PPC, दिनांक 6.4.2010 के अनुक्रम में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर में संविदा अकाउन्टेंट को रू. 8,100 प्रतिमाह एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर को रू. 8,100 प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक दिया जायेगा, जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "संस्थागत व्यवस्था" की निधि से किया जायेगा। संविदा सेवा शर्तें **अनुलग्नक – 2** के अनुसार यथावत लागू होंगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.934 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 भोपाल, दिनांक 22 / 01 / 11

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक मान. मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, <u>जिला पंचायत– समस्त</u> की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता / –
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर में अकाउन्टेंट एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर की संविदा नियुक्ति हेतु रोस्टर

S.No.	Name of District	Proposed Roster for the district
1	Alirajpur	ST
2	Anuppur	ST
3	Ashoknagar	OBC
4	Balaghat	Gen
5	Barwani	ST
6	Betul	ST
7	Bhind	SC
8	Bhopal	Gen
9	Burhanpur	Gen
10	Chhatarpur	SC
11	Chhindwara	Gen
12	Damoh	OBC
13	Datia	SC
14	Dewas	Gen
15	Dhar	ST
16	Dindori	ST
17	Guna	Gen
18	Gwalior	Gen
19	Harda	Gen
20	Hosangabad	Gen
21	Indore	Gen
22	Jabalpur	Gen
23	Jhabua	ST
24	Katni	Gen
25	Khandwa	Gen
26	Khargone	Gen
27	Madsaur	Gen
28	Mandla	ST
29	Morena	SC
30	Narsinghpur	Gen
31	Neemach	Gen
32	Panna	OBC
33	Raisen	Gen
34	Rajgarh	OBC
35	Ratlam	Gen
36	Rewa	Gen
37	Sagar	SC

38	Satna	Gen
39	Sehore	Gen
40	Seoni	OBC
41	Shahdol	ST
42	Shajapur	SC
43	Sheopur	Gen
44	Shivpuri	OBC
45	Sidhi	Gen
46	Singrouli	OBC
47	Tikamgarh	SC
48	Ujjain	SC
49	Umaria	ST
50	Vidisha	Gen

संविदा अकाउन्टेंट एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु संविदा शर्तें

2 संविदा नियुक्ति का स्थान अपरिवर्तनीय होगा।

3 विभाग व मिशन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति/दायित्व के संबंध में समय–समय पर जारी नीति/शर्तें/आदेश/संशोधन इस संविदा नियुक्ति पर भी लागू एवं बंधनकारी होंगे।

4 संविदा दायित्व ग्रहण करने के बाद 7 दिवस में अभ्यर्थी को संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5 संविदा दायित्व ग्रहण करने पर अभ्यर्थी को संबंधित जिले की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/समन्वयक– जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर के साथ रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा। (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा) इसके साथ ही अभ्यर्थी को 3 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बांड भी भरकर दायित्व पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करना होगा। इस बांड के आधार पर अभ्यर्थी को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा दायित्व के प्रथम दो वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के पूर्व ही पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता है/चला जाता है तो वह उक्त बांड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।

6 संविदा नियुक्ति की कालावधि में अभ्यर्थी को प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पारिश्रमिक के अनुसार प्रदान किया जायेगा, जिसमें मिशन मुख्यालय द्वारा समय–समय पर की गई वृद्धि लागू होगी । यात्रा देयक व भत्तें की पात्रता विभाग की संविदा नीति के अनुसार होगी।

7 संविदा नियुक्ति पर अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियोजक/नियोक्ता द्वारा संविदा दायित्व बिना कोई कारण बताये रद्द किया जा सकेगा।

8 संविदा दायित्व पर व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश नहीं लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा। महिला अभ्यर्थी को प्रसूति अवकाश की पात्रता नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के लिये होगी। पुरुष अभ्यर्थी को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता नियमानुसार होगी। प्रसूति एवं पितृत्व दोनों अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

9 संविदा नियुक्ति पर अभ्यर्थी के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

10 संविदा नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के संबंध में समय–समय पर सौंपे गये समस्त दायित्व/कार्य वहन/ संपादित करने होंगे।

11 संविदा नियुक्ति की कालावधि के दौरान अभ्यर्थी को अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

12 संविदा नियुक्ति पर अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग/संगठन को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा किसी भी स्थिति में कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

13 बिना किसी स्वीकार योग्य कारण के परियोजना के संविदा दायित्व से अनुपस्थिति अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगी तथा ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताये/सूचना दिये अभ्यर्थी का संविदा दायित्व रद्द किया जा सकेगा।

14 संविदा पर अभ्यर्थी संविदा कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।

15 संविदा नियुक्ति पर अभ्यर्थी भविष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

16 किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

17 संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, किसी भी समय आवश्यकता नहीं होने पर यह समाप्त किया जा सकती है।